14/8/25

पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 13/9/25 को पेश हो

25/8/25

प्रार्थी के प्रा.पत्र के आधारपत्र तलब की बाबत पेश की प्रार्थना पत्र 212 आदेश में कोई अग्रिम कार्यवाही नहीं चाहती है चूंकि दावा वाली प्रा.पत्र के आधारपत्र खारिज किया जा चुका है अतः प्रा.पत्र 212 आदेश का कोई औचित्य बाकी नहीं रहता है प्रा.पत्र 212 इसी स्तर पर खारिज किया जाता है पक्षकार स्वयं ही वाहिद खर्चा होगा

कलक्टर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.10.28 10:25:42 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner